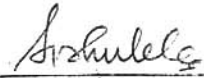


प्रेस विज्ञापित

सत्र 2018-19 के लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययनरत्/ प्रवेशित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के सभी छात्र/ छात्राओं को सूचित किया जाता है कि पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता/ अभिभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 2,00,000/-' (रू0 दो लाख मात्र) तक है, एवं शासनादेश संख्या 138/2018/1381/26-3-2018 दिनांक 18 मई, 2018, के नये प्राविधानों अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ऐसे सभी छात्र/ छात्राएं जिनके माता-पिता/ अभिभावक की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय रू0 2,50,000/-' (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) तक है, छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। वेबसाइट <http://scholarship.up.nic.in> पर जाकर 31 अगस्त, 2018 तक आवेदन फार्म भरने के पश्चात् सभी संलग्नों सहित स्वप्रमाणित आवेदन फार्म के प्रिंट आउट की एक प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय के सी0पी0एम0टी0 भवन में कार्यालय के काउन्टर पर जमा करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे जिसके लिए छात्र/ छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।



(एस0के0 शुक्ल) 16.07.2018
कुल सचिव

संख्या :

दिनांक :

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ
2. समस्त संकायध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
3. प्रो0 अनिल मिश्रा, प्रभारी कम्प्यूटर सेन्टर, डी0टी0पी0 अनुभाग को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. वित्त अधिकारी, ल0वि0वि0।
5. निदेशक, आई0पी0पी0आर0 ल0वि0वि0।
6. निदेशक, आई0एम0एस0, नवीन परिसर, ल0वि0वि0।
7. प्रधानाचार्य, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, ल0वि0वि0।
8. कुलानुशासक, ल0वि0वि0।



(उपकुल सचिव)
छात्रवृत्ति